# न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

## स्वत्व वाद सं0–98/2025

ललन राय.....वादी

बनाम

राजेन्द्र बरई एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| DATE | ORDER | REMARKS |
|---|---|---|
| **12.06.2025** | वादी की ओर से पैरवी है। अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 11.06.2025 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है।<br><br>**आदेश (ORDER)**<br><br>वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद मुन्दर्जे मद सं0–02 अर्जी नालिस की भूमि पर स्वत्व अधिकार तथा दखल–कब्जा वो मद नं0–02 वाली भूमि पर प्रतिवादीगण को जाने एवं मोजाहमत करने से रोक लगाने हेतु दाखिल किया गया है। प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा सम्मन निर्गत किया गया है, जिससे प्रतिवादीगण की जानकारी बखुबी हो गया है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर नजायज मोजाहमत करने का प्रयास कर रहे है। न्यायालय द्वारा नोटिस प्राप्त के बाद प्रतिवादीगण काफी उग्र हो गये है और वादग्रस्त भूमि पर निमार्ण सामग्री इकट्ठा कर रहे है एवं कभी भी निमार्ण कार्य कर भूमि का स्वरूप बदल सकते है। वादग्रस्त भूमि का विवरण अर्जी नालिस मद सं0–02 आवेदन पत्र के अंत में दिया जा रहा है। वादी को वादग्रस्त भूमि पर से बेदखली का आशंका हो रहा है। लेहाजा एक अधिवक्ता आयुक्त की बहाली कर वादग्रस्त भूमि के यथास्थिति के संबंध में एक जांच रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष आना न्यायहीत में आवश्यक है। अधिवक्ता आयुक्त की बहाली में आने वाले खर्च को वादी वहन करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का आवेदन दिनांक 11.06.2025 को स्वीकार कर अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की कृपा करें।<br><br>इस वाद में प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं है तथा उनके विरूद्ध समन निर्गत किया जा चुका है। | |

# <u>न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

## <u>स्वत्व वाद सं0–98/2025</u>

ललन राय.....वादी

बनाम

राजेन्द्र बरई एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 12.06.2025** | वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। स्वत्व वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि का संरक्षण करना न्यायालय का प्रथम कर्तव्य है। ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है? इस सम्बन्ध में अधिवक्ता आयुक्त से प्रतिवेदन की माँग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त के खर्चे को वहन करने को तैयार है। अतः वादी का आवेदन दिनांक 12.06.2025 को स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार व्यवहार न्यायालय, नरकटियागंज के स्थानीय विद्वान अधिवक्ता श्री अनुप कुमार दुबे को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि की वस्तु स्थिति के सम्बन्ध में फोटोग्राफ्स के साथ प्रतिवेदन 14 दिनों के अंदर न्यायालय में समर्पित करें। अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के मद में होने वाला व्यय मो0–2000/– रूपये वादी के द्वारा वहन किया जाएगा। वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि जाँच में अधिवक्ता आयुक्त का सहयोग करें। कार्यालय रिट जारी करें।<br>वाद दिनांक 02.07.2025 को अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन हेतु नियत।<br>लेखापित<br>मुंसिफ<br>नरकटियागंज | |